लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
016/2022 (GCMS 2022/69)	23.03.2022	19.04.2022

अनवान

रमेशचन्द्र पिता शंकरलाल कुमावत निवासी कासोद दरवाजा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 10.02.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./016/2022(सू.अ.)(19.04.2022) दिनांक 23.03.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 19.04.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 19.04.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/आर.टी.आई/2022/218 दिनांक 18.04.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि अपीलार्थी ने दिनांक 10.02.2022 को उपखंड अधिकारी निम्बाहेड़ा से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी गई थी। यह स्वीकार है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. यह कि अपीलार्थी ने लिखा है कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा नियामानुसार रूप से प्रार्थी को उक्त सूचना नहीं दी गई है यह स्वीकार नहीं है। अपीलार्थी को कार्यालय हाजा के पत्रांक/सू.का.अ./2022/142 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा नियमानुसार निर्धारित राशि जमा करवाने हेतु लिखा गया। जिसकी तामील व्यक्तिगत एवं व्हाट्स ऐप्स के माध्यम से करवायी गयी थी। (फोटोप्रति संलग्न)
3. यह कि अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार राशि जमा नहीं करवायी गयी अतः उक्त सूचना प्रदान किया जाना संभव नहीं हैं।
4. यह कि राशि जमा नहीं करवाने के कारण एवं व्यक्तिगत तामिल के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण प्रार्थी का आवेदन दिनांक 14.03.2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार निरस्त कर दिया गया था।

श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाणित प्रतिलिपि शुल्क जमा नहीं करवाने से निरस्त किया गया हैं अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने योग्य हैं।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/आर.टी.आई/2022/218 दिनांक 18.04.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10.02.2022 से पांच बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई थी। इस पर अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र क्रमांक/सू.का.अ./2022/142 दिनांक 10.03.2022 से निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क जमा कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र लिख कर जरिये व्हाट्स ऐप व व्यक्तिगत तामील सूचित किया गया था। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र प्रार्थी रमेशचन्द्र द्वारा दिनांक 11.03.2022 को 5 बजे सायंकाल में प्राप्त होना पाया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा नहीं करवाने एवं व्यक्तिगत तामिल के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा अपने आदेश क्रमांक/आर.टी.आई./2022/144 दिनांक 14.03.2022 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी के आवेदन को निरस्त कर निस्तारित किया गया। जो कि सर्वथा उचित प्रतीत होता हैं। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.04.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-s/d-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)